अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2020 (GCMS 2020/00096) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर
08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 30.01.2020 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे बिन्दुवार उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ137(3)(26)आरटीआई/निर्वा/2019/1350 दिनांक 18.11.2019 व 13502 दिनांक 18.11.19 से सम्बन्धित सूचना :

1. **बिन्दु संख्या 2** में वाछित सूचना में प्रार्थी के पत्रांक 01.11.19 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना मागंने पर आप द्वारा जबाव दिया गया है कि सूचना सृजित करना सूचना की व्याख्या करना व नियमों की राय जानना सूचना के अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है कृपया पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम की सूचना मागंना किस अधिनियम, नियम राय मांगना, सूचना सृजित करना व सूचना की व्याख्या में आती है उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. **बिन्दु संख्या 3** की सूचना में पत्र प्राप्ति से लेकर इस पत्र (आवेदन का) का जबाव देने तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति मांगने पर आप द्वारा जबाव दिया गया है कि प्रार्थी के पत्रांक 01.11.19 पर कर्मकार व अधिाकारी का नाम व कार्यवाही की प्रति मांगना किस अधिनियम व नियम व सूचना की व्याख्या करना सृजन करना व राय जानना में आती है उस अधिनियम व अधिनियम की प्रति की क सूचना व प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।

3. **बिन्दु संख्या 5** : बीएलओ श्री सुभाष गोयल ने लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.14 से 11.04.2014 तक उप पंजीयक श्रीगंगानगर के अधीन कार्य किया जिसकी ... श्री सुभाष गोयल बीएलओ ने की है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति मागंने पर आप द्वारा जबाव दिया गया है कि ''सूचना सृजन करना, व्याख्या करना, कानून की राय मांगना व जानना सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नही आता है।

कृपया बिन्दु संख्या 5 में वाछिंत सूचना जिस अधिनियम मे अदेय है कृपया उसकी नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जबकि यह सूचना रिकार्ड में है व आपके विभाग व उपपंजीयक विभाग में है।

4.बिन्दु संख्या 11 की सूचना मे सूचना सृजन करना, व्याख्या करना व जिस नियम व कानून की राय जाती है उस शब्द का उल्लेख कर सूचना उपलब्ध कराये व नियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. उपरोक्त पत्रांक को पत्रांक 13502 दिनांक 19.11.2019 से प्रेषित किये गये अधिकारियो के सम्बन्ध मे सूचना

   बिन्दु संख्या 2—उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

   बिन्दु संख्या 3—प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 श्रीगंगानगर

   उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 से 4 के अधिकारियो को भेजे गये पत्र जिस अधिनियम की जिस धारा में भेजे गये है उसकी सूचना व अधिनियम की सूचना।

6. उपरोक्त अधिकारियो को प्रेषित पत्रों में जो राजकीय खर्च जैसे कागज, टाईपिंग, पोस्टल व मानव श्रम व्यय हुआ है उसकी कुल राशि की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

7 इस पत्रांक पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

8. जिस ध्येय से उपरोक्त पत्र अधिकारियो बिन्दु सख्यां 2 से 4 को प्रेषित किये गये है, उस उद्देश्य के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(23)(RTI)निर्वा/2019/13501 दिनांक 18.11.2019 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उक्त विष्यान्तर्गत आप द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 30.01.2020 (इस कार्यालय को दिनांक 04.02.2020 को प्राप्त) के माध्यम से नियमो के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयी व्यवस्था प्रक्रिया पर प्रश्न कर सूचना की व्याख्या/राय चाही गयी है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के संबध में उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधीन कार्यालय स्तर पर पूर्व से संधारित रिकॉर्ड/पत्रावली/नोटशीट आदि से नकले/प्रतिलिपियां जारी की जाती है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, रूख, राय व्यक्त करना, नियमो के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या, निर्णय की अपेक्षा करना, कार्यवाहियों के लिए अनूरोध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धार (f, i, j) सूचना की परिभाषा के अन्तर्गत कवर नही होता है

आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 8 में चाही गयी सूचना प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकारी प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 द्वारा जारी निर्देश/प्रश्न–10 के अन्तर्गत, "सूचना का अधिकारी अधिनिमय 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचनाऐ प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है एवं निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांक 10.07.2008 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नही है कि वह सामग्री में से कोई निष्कर्म निकाले और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री में से

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।" आप द्वारा वांछित सूचना का आधार काल्पनिक है।

सूचना मांगने की आड में लोक प्राधिकारी से कानून एवं नियमों पर उसकी राय जानना सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कवर नही होता है। (सी.आई.सी/एटी/ए/2006/00154 दिनांक 03.11.2006) आर.के.मिर्ग बनाम गृह मंत्रालय)

उक्त निर्देशो के अनुसरण में आपके आवेदन में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 8 से संबन्धित सूचना के संबंध में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2020 अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

-sd-
(डॉ. गुंजन सोनी)
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2020 पर लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 02.03.2021 को उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है, जो सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर